डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय , किशनगंज के निर्माण कार्य में कार्य के परामर्शी डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली को उन्हें डिबार मुक्त करने के लिए दिनांक–23.07.2018 को आहूत तकनीकी मूल्यांकन समिति के बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थितिः–

1. श्री राम सागर प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना – अध्यक्ष
2. श्री तपेश्वर प्रसाद साह, महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना – सदस्य
3. श्री रंजित प्रसाद सिंह, महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना – सदस्य
4. श्री शिवानंद, उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पूर्णिया – सदस्य
5. श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक (मु0/परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना– विशेष आमंत्रित सदस्य

तकनीकी प्रतिवेदनः–

(i) डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के लिए 350.4 एकड़ जमीन का हस्तान्तरण, इसका सीमांकन, कन्टुर सर्वे, मिट्टी जाँच तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से प्राप्त विभिन्न संकाओ/विभागों के लिए space requirement के आधार पर गठित तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन पर कृषि विभाग के पत्रांक–2803 दिनांक–29.05.2013 के द्वारा ₹562.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त RFP आमंत्रित कर कार्य हेतु डी0डी0एफ0 कन्सलटेन्ट्स, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली को परामर्शी के रूप में चयनित किया गया।

(ii) परामर्शी से प्राप्त D.P.R. के आधार पर ₹570.38 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मूल) प्रदान की गयी। तत्पश्चात् नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर मे0 सापूरजी पालुनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, कोलकाता को 18.25% अधिक दर पर निदेशक पर्षद द्वारा गठित प्राधिकृत निविदा समिति के द्वारा कार्य आवंटित किया गया। तदनुसार निगम के पत्रांक 2109 दिनांक 13.12.2013 द्वारा मे० सापूरजी पालुनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0, कोलकाता को ₹593.10 करोड़ की राशि का कार्यावंटन आदेश निर्गत किया गया। उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया द्वारा SBD के तहत एकरारनामा सं0– SBD 01/2013–14 दिनांक–26.12.2013 को सम्पन्न किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्यपूर्ण करने की अवधि 24 माह यानि दिनांकः 25.12.2015 तक निर्धारित थी।

(iii) एकरारनामा के मदों के अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर एवं बाह्य भू–खंडों के आंतरिक जल निस्सरण हेतु नाली आदि का निर्माण एवं अधिक दर पर निविदा निष्पादित राशि को समावेशित कर पुनरीक्षित अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासी विभाग को समर्पित किया गया। जिसके आलोक में कृषि विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–5124, दिनांक–14.11.2014 के द्वारा ₹683.392 करोड़ मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा दिनांक–31.07.2017 को ₹656,45,62,400.00 मात्र की प्रथम पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके कारण योजना का कार्यान्वयन विलंब से हुआ है, जिसके लिए संबंधित तत्कालीन महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, पी0आई0यू0, पूर्णिया, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 एवं डी0डी0एफ0 कंस्लटेंट प्रा0 लि0, 501, बी0–09, आई0टी0एल0 टावर, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली से निगम के पत्रांक–433, दिनांकः 15.02.2018 के द्वारा प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राक्कलन विलंब से जमा करने का दोषी मानते हुए स्पष्टीकरण किया गया है। तत्पश्चात् कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं BAU, सबौर द्वारा Horticulture and Plantation work में कुछ परिवर्तन करते हुए नये प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके आलोक में पुनः प्राक्कलन को संशोधित किया गया तथा ₹656,97,75,710.00 मात्र का द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति दिनांक– 31.10.2017 को प्रदान की गयी। जिसके आलोक में निदेशक पर्षद के अनुमोदनोपरान्त Horticulture and Plantation work के साथ–साथ सभी आवश्यक मदों का पूरक परिमाण विपत्र दिनांक–24.12.2017 एवं दिनांक–03.01.2018 को पूरक एकरारनामा करने हेतु पी0आई0यू0, पूर्णिया को भेजा गया था।